

न्यायालय/कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बस्ती।

रिमाण्ड ज्यूटी आदेश

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से विचार विमर्श करने के उपरान्त अवकाश के दिनों में रिमाण्ड कार्य सम्पादन हेतु निम्न प्रकार की व्यवस्था की जाती है:-

1.	श्री अभिनव देवेश शुक्ला, षष्ठम अतिरिक्त सिविल (जू.डि.), कोर्ट सं०-19 बस्ती।	माह-फरवरी-2024
2.	श्रीमती अर्पिता यादव, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, कोर्ट सं०-10 बस्ती।	माह-मार्च-2024
3.	श्री आलोक वर्मा, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय, कोर्ट सं०-11 बस्ती।	माह-अप्रैल-2024

दिनांक-03-02-2024

(आशीष कुमार राय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बस्ती।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-माननीय जनपद न्यायाधीश, बस्ती के सेवा में सादर अवलोकनार्थ।
- 2-न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, कोर्ट सं०-10 बस्ती।
- 3-न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय, कोर्ट सं०-11 बस्ती।
- 4-न्यायालय षष्ठम अतिरिक्त सिविल (जू.डि.), कोर्ट सं०-19 बस्ती।
- 5-पुलिस अधीक्षक, बस्ती।
- 6-ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, बस्ती।
- 7-समस्त अधिवक्ता, संघ।
- 8-कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय बस्ती।

दिनांक-03-02-2024

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बस्ती।